रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2547] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2015/अग्रहायण 10, 1937

No. 2547] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2015/AGRAHAYANA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2015

का.आ. 3228(अ).-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

अनेर बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, महाराष्ट्र के धूले और जलगांव जिले में धूले से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है और पूर्व की ओर अक्षांश 21°23 ’02.37 पूर्व की ओर और 21°26 ’51 पश्चिम की ओर और देशान्तर 75°0 ’56 उत्तर की ओर और 75°06 ’57 दक्षिण की ओर के बीच 82.95 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है |

और, अनेर बांध अभयारण्य अपनी जैव-विविधता के लिए जाना जाता है जहां जैव-विविधता मूल्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, तितली, सांप, स्तनपायी, कृन्तक, मेंढ़क बिच्छु और घास पाये जाते हैं।

और, अनेर बांध अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को,, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 2.25 से 12 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 2.25 से 12 किलोमीटर तक विस्तार के साथ 474.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है और ऐसे जोन का सीमा विवरण **उपाबंध–I** पर दिया गया है ।

(2) निर्देशांकों के साथ-साथ महाराष्ट्र के धूले और जलगांव जिलों में आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर 21 ग्रामों की सूची **उपाबंध II** पर उपाबद्ध है |

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसके सीमा विवरण के साथ **उपाबंध III** पर उपाबद्ध है ।

(4) अनेर बांध वन्यजीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ-साथ निर्देशाकों के बिन्दुओं के ब्यौरे **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

(3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण ;
(ii) पर्यावरण ;
(iii) वन ;
(iv) नगर विकास ;
(v) पर्यटन ;
(vi) नगरपालिका ;
(vii) राजस्व ;
(viii) कृषि ;
(ix) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
(x) सिंचाई ;
(xi) लोक निर्माण विभाग

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, (5) अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकजन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

(1) **भू-उपयोग.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 9,15,21,26 और 29 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :—

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना और नई सड़कों का सन्निर्माण

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं।

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा वन और पर्यावरण विभाग, राज्य सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के आवास के सिवाय अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और विश्रामस्थलों के सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से आगे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा की दृष्टि से केवल पूर्वपरिभाषित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में नए होटलों और रिसोर्टों का स्थापन अनुज्ञात होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(3) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा ।

(4) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(5) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(6) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राजस्थान राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(8) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(9) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(10) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणीयों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है | मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(11) **औद्योगिक इकाइयां –**

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों के किसी स्थापन की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी |

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग के किसी प्रस्थापन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी |

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
प्रतिसिद्ध क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां	(क) सभी नए और विधमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकानों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या मकानों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के सदभाविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम

		भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मशीनों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनपचारित बहिस्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	नए काष्ठ आधारित उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बने रहेंगे : परन्तु यह और कि विद्यमान आरा मशीनों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी अवधि की समाप्ति पर नहीं किया जाएगा।
विनियमित क्रियाकलाप		
8.	पोलीथीन बैग का उपयोग	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध।
9.	होटल और विश्राम स्थलों का स्थापन	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। तथापि एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होंगे।
10.	सन्निर्माण क्रियाकलाप	(क)संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी। (ख) प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा। (ग) सदभाविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए सन्निर्माण की अनुज्ञा पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार से एक किलोमीटर तक दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक सन्निर्माण क्रियाकलापों का विनियमन आंचलिक महायोजना के अनुसार किया जाएगा;
11.	वृक्षों की कटाई	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी।

		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना निदेश का अनुपालन किया जाएगा |
12.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
13.	विद्युत केबलों, परेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण	(i) भूमिगत केबिल लगाने का संवर्धन;
14.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
16.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
17.	विदेशी प्रजातियों को लाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
20.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
22.	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	वायु और यानीय प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
25	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	वर्षा जल संचयन	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।

27.	जैविक खेती	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
28.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
29.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
30.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग	बायो गैस, सोलर लाइट आदि को बढ़ावा दिया जाए।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, **महाराष्ट्र राज्य में आने वाले** पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	जिला कलक्टर, धूले	अध्यक्ष
(ख)	कलक्टर, जलगांव का प्रतिनिधि	सदस्य
(ग)	सीईओ, जिला परिषद, धूले	सदस्य
(घ)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
(ङ)	परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक विशेषज्ञ	सदस्य
(च)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	सदस्य
(छ)	क्षेत्र का वरिष्ठ नगर योजनाकार	सदस्य
(ज)	उप मुख्य वन्यजीन वार्डन, धूले संभाग	सदस्य-सचिव

6. निर्देश शर्तें -

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/92/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

अनेर बांध पारि-संवेदी जोन का सीमा विवरण

1. इस पारि-संवेदी जोन की उत्तरी सीमा **कम्पाट सं.937** से शुरु होती है। कम्पाट सं.937 के दक्षिण की ओर कम्पाट सं.927 स्थित है। ग्राम वज खुर्द के कम्पाट सं.937 राजस्व क्षेत्र के दक्षिण की ओर कम्पाट सं.938 और 937 स्थित है।

2. **कम्पाट सं.927** के उत्तर की ओर कम्पाट सं.923 स्थित है। कम्पाट सं.927 के पूर्व में कम्पाट सं.922 स्थित है। कम्पाट सं.927 के दक्षिण की और, कम्पाट सं.935 एवं928 स्थित हैं तथा कम्पाट सं.927 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.936, कम्पाट सं.937 स्थित हैं।

3. **कम्पाट सं.922** के उत्तर की ओर कम्पाट सं.992 स्थित है। कम्पाट सं.922 के पूर्व की ओर कम्पाट सं.921 स्थित है, कम्पाट सं.922 के दक्षिण की ओर कम्पाट सं.928 स्थित हैं और कम्पाट सं.922 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.927 स्थित है।

4. **कम्पाट सं.921** के उत्तर की ओर कम्पाट सं.919 स्थित है। कम्पाट सं.921 के पूर्व की ओर कम्पाट सं.920 स्थित है। कम्पाट सं.921 के दक्षिण की ओर कम्पाट सं.929 स्थित है और कम्पाट सं.921 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.922 स्थित है।

5. **कम्पाट सं.792** के उत्तर की ओर कम्पाट सं.790 स्थित है। कम्पाट सं.792 के पूर्व की ओर कम्पाट सं.920 स्थित है। कम्पाट सं.921 के दक्षिण की ओर कम्पाट सं.929 और ग्राम संगवी का राजस्व क्षेत्र स्थित है। दक्षिण की ओर संगवी ग्राम का पी.टी. स्थित है और कम्पाट सं.792 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.919 स्थित है।

6. **कम्पाट सं.812** के उत्तर की ओर, कम्पाट सं.811 स्थित है। कम्पाट सं.812 के पूर्व की ओर, कम्पाट सं.815 स्थित है और कम्पाट सं. 812 के दक्षिण की ओर कम्पाट सं.813 स्थित है तथा कम्पाट सं.812 के पश्चिम की ओर ग्राम संगवी का राजस्व क्षेत्र स्थित है।

7. **कम्पाट सं.814** के उत्तर की ओर कम्पाट सं.815 स्थित है। कम्पाट सं.814 के पूर्व की ओर, कम्पाट सं.815 और 824 स्थित हैं। कम्पाट सं.814 के दक्षिण की ओर, कम्पाट सं.842 स्थित है और कम्पाट सं.814 के पश्चिम की ओर, कम्पाट सं.813 स्थित है।

8. **कम्पाट सं.824** के उत्तर की ओर कम्पाट सं.816 स्थित है। कम्पाट सं.824 के पर्वू की ओर कम्पाट सं.823 स्थित है। कम्पाट सं.824 के दक्षिण की ओर कम्पाट सं.825 स्थित है और कम्पाट सं.824 के पश्चिम की ओर जोयादा ग्राम का राजस्व क्षेत्र स्थित है।

9. **कम्पाट सं.827** के उत्तर की ओर, कम्पाट सं.822 स्थित है। कम्पाट सं.827 के पूर्व की ओर, जमन्यापडा ग्राम की ग्राम सीमा स्थित है। कम्पाट सं.827 के दक्षिण की ओर, कम्पाट सं.840 स्थित है और कम्पाट सं.827 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.925 स्थित है।

10. **कम्पाट सं.831** के उत्तर की ओर बखरती ग्राम का राजस्व क्षेत्र स्थित है। कम्पाट सं.831 के पूर्व की ओर कम्पाट सं.832 स्थित है। कम्पाट सं.831 के दक्षिण की ओर अंबा ग्राम का राजस्व क्षेत्र और कम्पाट सं.931 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.830 स्थित है।

11. **कम्पाट सं.832** के उत्तर की ओर बखरती ग्राम का राजस्व क्षेत्र स्थित है, कम्पाट सं.832 के पूर्व की ओर, कम्पाट सं.833 स्थित है और कम्पाट सं.832 के दक्षिण की ओर कम्पाट सं.838 स्थित हैं और कम्पाट सं.832 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.839 और 831 स्थित हैं।

12. **कम्पाट सं.833** उत्तर की ओर मध्य प्रदेश राज्य सीमा का राजस्व क्षेत्र स्थित है। कम्पाट सं.833 के पूर्व की ओर ग्राम वराला का राजस्व क्षेत्र स्थित है। कम्पाट सं.833 के दक्षिण की ओर, कम्पाट सं.832 स्थित है और कम्पाट सं.833 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.832 स्थित है।

13. **कम्पाट सं.834** के उत्तर की ओर, ग्राम वराला का राजस्व क्षेत्र स्थित है, कम्पाट सं.834 के पर्वू की ओर कम्पाट सं.835 स्थित है। कम्पाट सं.832 के दक्षिण की ओर ग्राम हिगांव का राजस्व क्षेत्र स्थित है और कम्पाट सं.834 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.833 स्थित है।

14. **कम्पाट सं.835** के उत्तर की ओर ग्राम वराला का राजस्व क्षेत्र स्थित है, कम्पाट सं.835 के पूर्व की ओर कम्पाट सं.836 स्थित है। कम्पाट सं.835 के दक्षिण की ओर ग्राम हिवार खेड़ा का राजस्व क्षेत्र स्थित है और कम्पाट सं.835 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.834 स्थित है।

15. **कम्पाट सं.836** के उत्तर की ओर ग्राम वराला का राजस्व क्षेत्र स्थित है, कम्पाट सं.836 के पूर्व की ओर, कम्पाट सं.837 स्थित है, कम्पाट सं.836 के दक्षिण की ओर अनेर नदी स्थित है और कम्पाट सं. 836 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.835 स्थित है।

16. **कम्पाट सं.837** के उत्तर की ओर एम.पी. राज्य सीमा स्थित है। कम्पाट सं.837 के पूर्व की ओर एम.पी. राज्य सीमा स्थित है। कम्पाट सं.837 के दक्षिण की ओर, अनेर नदी स्थित है और कम्पाट सं.837 के पश्चिम की ओर, कम्पाट सं.836 स्थित है।

17. चोपदा रेंज के **कम्पाट सं.273** के उत्तर की ओर, एम.पी. राज्य सीमा स्थित है। कम्पाट सं.273 के पूर्व की ओर, कम्पाट सं.272 स्थित है। कम्पाट सं.273 के दक्षिण की ओर कम्पाट सं.274 स्थित है और कम्पाट सं.273 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.276 स्थित है।

18. **कम्पाट सं.271** के उत्तर की ओर, कम्पाट सं.272 और 273 स्थित है। कम्पाट सं.271 के पूर्व की ओर, चोपदा रेंज की कम्पाट सं.255 स्थित है। कम्पाट सं.271 के दक्षिण की ओर, कम्पाट सं.269 स्थित है और कम्पाट सं.271 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.270 और 274 स्थित है।

19. **कम्पाट सं.269** के उत्तर की ओर, कम्पाट सं.271 स्थित है। कम्पाट सं.269 के पूर्व की ओर, कम्पाट सं.256 और 257 स्थित हैं। कम्पाट सं.269 के दक्षिण की कम्पाट सं.261 और कम्पाट सं.269 के उत्तर की ओर कम्पाट सं.268 स्थित है।

20. **कम्पाट सं.257** के उत्तर की ओर, कम्पाट सं.269 और स्थित 256 हैं। कम्पाट सं.253 के पूर्व की ओर, कम्पाट सं.256 स्थित है। कम्पाट सं.257 के दक्षिण की ओर, कम्पाट सं.258 और 251 स्थित हैं और कम्पाट सं.257 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.269 स्थित है।

21. **कम्पाट सं.258** में उत्तर की ओर कम्पाट सं.257 स्थित है। कम्पाट सं.258 के पूर्व की ओर कम्पाट सं.251 स्थित है । कम्पाट सं.258 के दक्षिण की ओर कम्पाट सं.259 एवं 251 स्थित हैं और कम्पाट सं.258 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.261 स्थित है।

22. **कम्पाट सं.259** के उत्तर की ओर कम्पाट सं.258 स्थित है। कम्पाट सं 259.के पूर्व की ओर कम्पाट सं. 251 स्थित है। कम्पाट सं.259 के दक्षिण की ओर जलगांव जिले के चुंगाव ग्राम क्षेत्र का राजस्व क्षेत्र स्थित है। कम्पाट सं.259 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.260 स्थित है।

23. **कम्पाट सं.260** के उत्तर की ओर, कम्पाट सं.259 और 263 स्थित हैं। कम्पाट सं.260 के पूर्व की और ग्राम लसुर और चुंगाव का राजस्व क्षेत्र स्थित है। कम्पाट सं.260 के दक्षिण की ओर राजस्व ग्राम लसुर स्थित हैं और कम्पाट सं.260 के पश्चिम की ओर कम्पाट सं.286 एवं 284 स्थित हैं।

24. **इस क्षेत्र की दक्षिणी पूर्वी सीमा गोलांगी-गनपुर-लासुर रोड क्षेत्र में शामिल है**

25. शिरपुर चोपदा रोड के पूर्वी भाग की दक्षिणी सीमा एनएच-3 शिरपुर से शुरू होकर गोलांगी गांव तक जाती है।

26. इस पारि-संवेदी जोन की पश्चिमी सीमा की ओर, ग्राम दहीवाड का राजस्व क्षेत्र स्थित है। ग्राम दहीवाड के उत्तर की ओर खरबंद गांव का राजस्व क्षेत्र स्थित है। गांव दहीवाड के पूर्व की ओर कम्पाट सं. 1014 और 1015 तक ग्राम दहीवाड का राजस्व क्षेत्र स्थित है और दहीवाड ग्राम के दक्षिण की ओर दहीवाड और टोंडे ग्राम का राजस्व क्षेत्र स्थित है।

27. दहीवाड राजस्व क्षेत्र से खरवांड गांव राजस्व क्षेत्र के उत्तर तक की पश्चिमी सीमा पर कम्पाट सं 947.स्थित है।

28. **कम्पाट सं.947** के उत्तर की ओर, कम्पाट सं.946 स्थित है। कम्पाट सं.947 के दक्षिण की ओर करवांड ग्राम का राजस्व क्षेत्र स्थित है और कम्पाट सं.947 के पश्चिम की ओर ग्राम करवांड का राजस्व क्षेत्र स्थित है।

29. **कम्पाट सं.946** के उत्तर की ओर कम्पाट सं.941 स्थित है। कम्पाट सं.946 के पूर्वी की ओर कम्पाट सं. 945 स्थित है। कम्पाट सं.946 के दक्षिण की ओर कम्पाट सं.947 स्थित है। कम्पाट सं.946 के पश्चिम की ओर करवांड गांव का राजस्व क्षेत्र स्थित है।

30. कम्पाट सं.941 के उत्तर की ओर कम्पाट सं.940 स्थित है। कम्पाट सं.941 के पूर्व की ओर कम्पाट सं. 945 स्थित है और कम्पाट सं.941 के दक्षिण की ओर कम्पाट सं.946 स्थित है तथा कम्पाट सं के पश्चिम 941 की ओर निमजिरी ग्राम का राजस्व क्षेत्र स्थित है।

31. **कम्पाट सं.940** के उत्तर की ओर बरडीपाडा ग्राम का राजस्व क्षेत्र स्थित है। कम्पाट सं.940 के पूर्व की ओर कम्पाट सं.941 स्थित है । कम्पाट सं.940 के दक्षिण की ओर ग्राम निमजिरी का राजस्व क्षेत्र स्थित है और कम्पाट सं.940 के पश्चिम की ओर निमजिरी ग्राम का राजस्व क्षेत्र स्थित है।

32. **कम्पाट सं. 939** के उत्तर की ओर कम्पाट सं.938 स्थित है । कम्पाट सं.934 के पूर्व की ओर कम्पाट सं.935 और 940 स्थित हैं । कम्पाट सं.939 के दक्षिण की ओर निमजिरी ग्राम का राजस्व क्षेत्र स्थित है और कम्पाट सं.939 के पश्चिम की ओर ग्राम वादी बीके का राजस्व क्षेत्र स्थित है।

33. **कम्पाट सं. 938** के उत्तर की ओर कम्पाट सं. 937 स्थित है। कम्पाट सं. 938 के पूर्व की ओर कम्पाट सं.936 स्थित है। कम्पाट सं.938 के दक्षिण की और कम्पाट सं.939 स्थित है और कम्पाट सं.938 के पश्चिम की ओर वादी बीके ग्राम का राजस्व क्षेत्र स्थित है।

उपाबंध-II

अनेर बांध वन्यजीव अभ्यारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची उनके अक्षांश और देशांतर

क्रम सं.	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
1	2	3	4
	जिला धूले, तहसील शिरपुर		
1	हिसाले	उ.21 16 02.039	पू.75 06 08.848
2	तरदी	उ.21 16 36.160	पू.75 04 29.760
3	भागलज	उ.21 16 43.417	पू.75 03 21.605
4	अजनद	उ.21 17 09.944	पू.75 02 33.085
5	सावर	उ.21 17 41.634	पू.75 01 02.079
6	गोदी	उ.21 18 05.071	पू.75 0007.108
7	भोरखेदा	उ.21 18 25.104	पू.74 59 13.376
8	आसली	उ.21 18 54.883	पू.74 58 55.122
9	टांडा	उ.21 19 25.569	पू.74 57 44.309
10	दहीवाड	उ.21 20 29.526	पू.74 56 50.566
11	नटवडा	उ.21 23 38.659	पू.74 57 08.240
12	लौकी	उ.21 24 47.459	पू.74 56 52.242
13	हदाखेद	उ.21 25 09.631	पू.74 58 41.241
14	सुले	उ.21 23 40.908	पू.74 59 04.484
15	ला. हनुमान	उ.21 23 35.226	पू.75 02 20.462
16	रोहिणी	उ.21 23 18.015	पू.75 05 47.249
17	भोईती	उ.21 23 13.672	पू.75 06 41.269
18	खदखेडा	उ.21 23 52.593	पू.75 08 41.866
	जलगांव जिला, चौपाडा तहसील		
1	गणपुर	उ.21 17 01.291	पू.75 08 17.477
2	मराठा	उ.21 18 37.076	पू.75 09 32.492
3	सतरासेन	उ.21 21 37.549	पू.75 09 05.185

उपाबंध – III

वन संभांग, अनेर बांध वन्यजीव अभ्यारण्य में पारिस्थितिक संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र

उपाबंध- IV

अनेर बांध के प्रस्तावित पारिथितिक संवेदी जोन के निर्देशांक

क्रम सं.	अक्षांश	देशांतर
1	उ.21 27 27.265	पू.74 53 53.108
2	उ.21 28 22.718	पू.74 55 11.447
3	उ.21 28 38.276	पू.74 56 04.106
4	उ.21 28 10.308	पू.74 56 28.317

5	उ.19 28 21.089	पू.74 57 23.916
6	उ.21 29 03.545	पू.74 58 03.643
7	उ.21 29 15.411	पू.74 59 07.234
8	उ.21 29 18.85	पू.75 00 24.777
9	उ.21 28 51.82	पू.75 01 51.169
10	उ.21 26 55.114	पू.75 04 20.546
11	उ.21 26 14.360	पू.75 09 23.651
12	उ.21 21 40.026	पू.75 14 59.963
13	उ.21 15 07.271	पू.75 07 00.318
14	उ.21 17 23.993	पू.75 01 31.595
15	उ.21 18 11.630	पू.74 59 27.827
16	उ.21 19 03.343	पू.74 57 30.288
17	उ.21 20 18.159	पू.74 56 09.449
18	उ.21 21 29.965	पू.74 57 26.289
19	उ.21 23 42.505	पू.74 55 20.332
20	उ.221 26 06.988	पू.74 52 15.363

अनेर बांध अभयारण्य के निर्देशांक

क्रम सं.	अक्षांश	देशांतर
A	उ.21 27 09.797	पू.75 04 10.468
B	उ.21 21 49.342	पू.75 14 19.923
C	उ.21 15 16.678	पू.75 07 37.462

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा - पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तिथि
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।

6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2015

S.O.3228(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Aner Dam Wildlife Sanctuary situated about 60 Kms from Dhule in Dhule & Jalgaon Districts of Maharashtra and lying between latitudes 21°23 ´02.37” towards East and 21° 26 ´51” towards West and longitudes 75°0´56” towards North and 75°06´57” towards South is spread over an area of 82.95 sq. kms.

AND WHEREAS, the Aner Dam sanctuary is known for its biodiversity where various species of birds, butterflies, Snakes, Mammals, Rodent, Frog, Scorpion and Grasses are found highly important for biodiversity values.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Anerdam National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industry and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 2.25 to 12 kms around the boundary of Aner Dam Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Aner Dam Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 474.87 square kilometers with an extent upto 2.25 to 12 kms around the boundary of Aner Dam Wildlife Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The list of 21 villages within Eco-sensitive Zone falling in Dhule and Jalgaon Districts of Maharashtra along with co-ordinates is appended as **Annexure-II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details is appended as **Annexure-III .**

(4) The details of coordinates of the points along the boundary of Eco-sensitive Zone of the Aner Dam Wilidlife Sanctuary are appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture

(viii) Maharashtra State Pollution Control Board,

(ix) Irrigation

(x) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 9, 15, 21, 26 and 29 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Aner Dam Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities;

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(3) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(4) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(5) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(6) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(8) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(9) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(10) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is

prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(11) **Industrial Units**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
Regulated Activities		
8.	Use of Plastic carry bags	Prohibited with immediate effect.
9.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for

		accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines of National Tiger Conservation Authority.
10.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of reserve forests and protected forests the working plan prescriptions shall be followed.
12.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
13.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
14.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
15.	Widening and strengthening of existing roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
16.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
17.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.

20.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
21.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
22.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
23.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
24.	Drastic change of agriculture systems	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
25.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
26.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
27.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
28.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
29.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
30.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted

5. Monitoring Committee:-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Maharashtra , which shall comprise of the following namely:-

a) Collector Dhule – Chairman
b) Representative of Collector Jalgaon – Member
c) C.E.O., Zilla Parishad, Dhule – Member
d) One representative of NGO working in the field of environment to be nominated by the State government for a term of one year in each case – Member
e) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government for a term of one year in each case – Member
f) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board of the area – Member
g) Senior Town Planner of the area – Member
h) Deputy Conservator of Forests Dhule Division – Member-Secretary

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No.25/92/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ANER DAM ECO-SENSITIVE ZONE

1. Northern boundary of Eco-sensitive zone starts from **Comptt.No.937**. Comptt.No.927 is present towards South of Comptt.No.937. Comptt. No.938 & 937 is present towards west of Compartment No.937 revenue Area of Village Vaz Khurd. Is present.

2. Towards north of **Comptt.No.927** Comptt. No.923 is present. Towards east of Comptt.No.927 Comptt. No.922 is present. Towards South of Comptt. No.927, Comptt. No.935 & 928 are present & Towards West of Comptt. No.927 Comptt. No.936, Comptt. No.937 are present .

3. Towards north of **Comptt.No.922**, Comptt.No.992 is present. Towards East of Comptt. No.922, Comptt. No.921 is present Towards South of Comptt. No.922 Comptt. No.928 are present & Towards West of Comptt. No.922 Comptt. No.927 is present.

4. Towards North of **Comptt.No.921,** Comptt. No.919 is present. Towards East of Comptt. No.921, Comptt. No.920 is present. Towards South of Comptt. No. 921 , Comptt. No.929 is present & towards West of Comptt. No.921 Comptt.No.922 is present.

5. Towards North of **Comptt. No. 792**, Comptt. No.790 is present. Towards East of Comptt. No.792, Comptt. No.920 is present. Towards South of Comptt. No. 921 , Comptt. No.929 and Revenue area of village Sangvi is present. Towards South, P.T. of Sangvi village is present. And towards West of Comptt. No.792, Comptt.No.919 is present.

6. Towards North of **Comptt. No. 812**, Comptt. No.811 is present. Towards East of Comptt. No.812, Comptt. No.815 is present. Towards South of Comptt. No. 812 , Comptt. No.813 is present & towards West of Comptt. No.812, revenue area of village Sangvi is present.

7. Towards North of **Comptt. No. 814,** Comptt. No.815 is present. towards East of Comptt. No.814, Comptt. No.815,824 are present. Towards South of Comptt. No. 814 , Comptt. No.842 is present & towards West of Comptt. No.814, Comptt.No.813 is present.

8. Towards North of **Comptt. No.824**, Comptt. No.816 is present. Towards East of Comptt. No.824, Comptt. No.823 is present. Towards South of Comptt. No.824 , Comptt. No.825 is present & towards West of Comptt. No.824 revenue area of Joyada village is present.

9. Towards North of **Comptt. No. 827** , Comptt. No.822 is present. Towards East of Comptt. No.827 village boundary of Jamnyapada village is present. Towards South of Comptt. No.827 , Comptt. No .840 is present & towards West of Comptt. No.827, Comptt.No.925 is present.

10. Towards North of **Comptt. No. 831** revenue area of Bakharti village. Towards East of Comptt. No.8311, Comptt. No.832 is present. Towards South of Comptt. No. 831 revenue area of village Amba and towards West of Comptt. No.931 Comptt.No.830 is present.

11. Towards North of **Comptt. No.832** revenue area of village Bakharti is present, Towards East of Comptt. No.832, Comptt. No.833 is present. Towards South of Comptt. No. 832 , Comptt. No.838 is present & towards West of Comptt. No.832,Comptt.Nos.839 and 831 are present.

12. Towards North of **Comptt. No.833** revenue area of Madhya Pradesh State Border is present. Towards East of Comptt. No.833 revenue area of village Varala is present. Towards South of Comptt. No. 833 , Comptt. No.832 is present & towards West of Comptt. No.833,**Comptt.Nos.832** is present.

13. Towards North of **Comptt. No.834** revenue area of village Varala is present, Towards East of Comptt. No.834, Comptt. No.835 is present. Towards South of Comptt. No. 832 revenue area of village Higaon is present and towards West of Comptt. No.834,Comptt.Nos.833 is present.

14. Towards North of **Comptt. No.835** revenue area of village Varala is present, Towards East of Comptt. No.835, Comptt. No.836 is present. Towards South of Comptt. No. 835 of revenue area of village Hiwarkheda is present & towards West of Comptt. No.835,Comptt.No.834 is present.

15. Towards North of **Comptt. No.836** revenue area of village Varala is present, Towards East of Comptt. No.836, Comptt. No.837 is present. Towards South of Comptt. No. 836 Aner river is present and & towards West of Comptt. No.836,Comptt.Nos.835 is present.

16. Towards North of **Comptt. No.837** M.P. State Border is present. Towards East of Comptt. No.837 MP state border is present. Towards South of Comptt. No. 837, Aner river is present & towards West of Comptt. No.837,Comptt.Nos.836 is present.

17. Towards North of **Comptt. No.273** of Chopda Range, MP State border is present. Towards East of Comptt. No.273, Comptt. No.272 is present. Towards South of Comptt. No.273, Comptt. No.274 is present & towards West of Comptt. No.273, Comptt.No.276 is present.

18. Towards North of **Comptt.No.271,** Comptt. Nos.272,273 are present. Towards East of Comptt. No.271, Comptt.No.255 of Chopda range is present. Towards South of Comptt. No.271, Comptt.No.269 is present & towards West of Comptt. No.271, Comptt.Nos.270,274 are present.

19. Towards North of **Comptt. No.269,** Comptt.No.271 is present. Towards East of Comptt. No.269, Comptt.No.256 and 257 are present. Towards South of Comptt. No. 269, Comptt. No.261 & towards West of Comptt. No.269 ,Comptt.Nos.268 is present.

20. Towards North of **Comptt. No.257,** Comptt.No.269 and 256 are present. Towards East of Comptt. No.253, Comptt.No.256 is present. Towards South of Comptt. No. 257, Comptt.No.258 and 251 are present & towards West of Comptt. No.257, Comptt.No.269 is present.

21. Towards North of **Comptt.No.258**, Comptt. No.257 is present. Towards East of Comptt. No.258, Comptt.No.251 is present. Towards South of Comptt. No.258, Comptt. Nos.259 & 251 are present & towards West of Comptt. No.258,Comptt.No.261 is present.

22. Towards North of **Comptt. No.259**,Comptt.No. 258 is present. Towards East of Comptt. No.259, Comptt.No.251 is present. Towards South of Comptt. No.259, Comptt. No.259 of revenue village area of Chugaon of Jalgaon Distt. is present & towards West of Comptt. No.259,Comptt.Nos.260 is present.

23. Towards North of **Comptt. No.260,** Comptt. No.259 and 263 are present. Towards East of Comptt. No.260, revenue area of villages Lasur and Chougaon is present. Towards South of Comptt. No.260 revenue village Lasur is present & towards West of Comptt. No.260,Comptt.Nos.286 and 284 are present.

24. **Southern East boundary of area is covered by Golangi-Ganpur-Lasur Road.**

25. Southern boundary covered by Eastern side of Shirpur Chopda Road. Starting from NH-3 Shirpur to Golangi Village.

26. Towards Western boundary of Eco-sensitive Zone , revenue area of village Dahiwad is present. Towards North of village Dahiwad, revenue area of Village Karwand is present. Towards East of Village Dahiwad, revenue area of village Dahiwad upto Comptt.Nos. 1014,1015 is present and towards South of Dahiwad village, revenue area of Dahiwad and Tonde village is present.

27. Western boundary from Dahiwad revenue area upto North of Karwand village revenue area upto Comptt. No.947 is present.

28. Towards North of **Comptt. No.947,** Comptt. No.946 is present. Towards East of Comptt. No.947, Comptt.No.944 is present. Towards South of Comptt. No.947 revenue area of Karwand village is present & towards West of Comptt. No.947 revenue area of village Karwand is present.

29. Towards North of **Comptt.No.946**, Comptt. No. 946, Comptt. No.941 is present. Towards East of Comptt.No. 946 ,Comptt.No.945 is present. Towards South of Comptt.No. 946 , Comptt.No. 947 is present. Towards West of Comptt.No.946 revenue area of village Karwand is present.

30. Towards North of **Comptt.No. 941**, Comptt. No.940 is present. Towards East of Comptt.No.941, Comptt.No. 945 is present. Towards South of Comptt.No. 941, Comptt.No. 946 is present and towards West of Comptt.No. 941, revenue area of Nimziri village is present.

31. Towards North of **Comptt.No. 940**, revenue area of village Bardipada is present. Towards East of Comptt. No. 940, Comptt.No. 941 is present. Towards South of Comptt.No.940, revenue area of village Nimziri and towards West of Comptt.No. 940, revenue area of Nimziri village is present.

32. Towards North of **Comptt. No.939,** Comptt. No.938 is present. Towards East of Comptt. No.934, Comptt.No.935 and 940 are present. Towards South of Comptt. No.939, revenu4 area of Nimziri village & towards West of Comptt. No.939, revenue area of village Wadi Bk. is present.

33. Towards North of **Comptt.No. 938**, Comptt.No.937 is present. Towards East of Comptt.No.938 Comptt.No.936 is present. Towards South of Comptt.No.938, Comptt.No. 939 is present and towards West of Comptt.No.938, revenue area of Wadi Bk. Village is present

ANNEXURE-II

LIST OF VILLAGES ALONG WITH LATITUDES AND LONGITUDES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF ANER DAM WILDLIFE SANCTUARY

Sr. No.	Name of Village	Latitude	Longitude
1	2	3	4
	Dhule District. Shirpur Tahasil		
1	Hisale	N21 16 02.039	E75 06 08.848
2	Tardi	N21 16 36.160	E75 04 29.760
3	Babhlaj	N21 16 43.417	E75 03 21.605
4	Ajnad	N21 17 09.944	E75 02 33.085
5	Sawer	N21 17 41.634	E75 01 02.079
6	Godi	N21 18 05.071	E75 0007.108
7	Bhorkheda	N21 18 25.104	E74 59 13.376
8	Aasli	N21 18 54.883	E74 58 55.122
9	Tanda	N21 19 25.569	E74 57 44.309
10	Dahiwad	N21 20 29.526	E74 56 50.566
11	Natwada	N21 23 38.659	E74 57 08.240
12	Lauki	N21 24 47.459	E74 56 52.242
13	Hadakhed	N21 25 09.631	E74 58 41.241
14	Sule	N21 23 40.908	E74 59 04.484
15	La. Hanuman	N21 23 35.226	E75 02 20.462
16	Rohini	N21 23 18.015	E75 05 47.249
17	Bhoitee	N21 23 13.672	E75 06 41.269
18	Khadkheda	N21 23 52.593	E75 08 41.866
	Jalgaon District. Chopada Tahasil.		
1	Ganpur	N21 17 01.291	E75 08 17.477
2	Maratha	N21 18 37.076	E75 09 32.492

3	Satrasen	N21 21 37.549	E75 09 05.185

ANNEXURE-III

Map of Eco-sensitive Zone

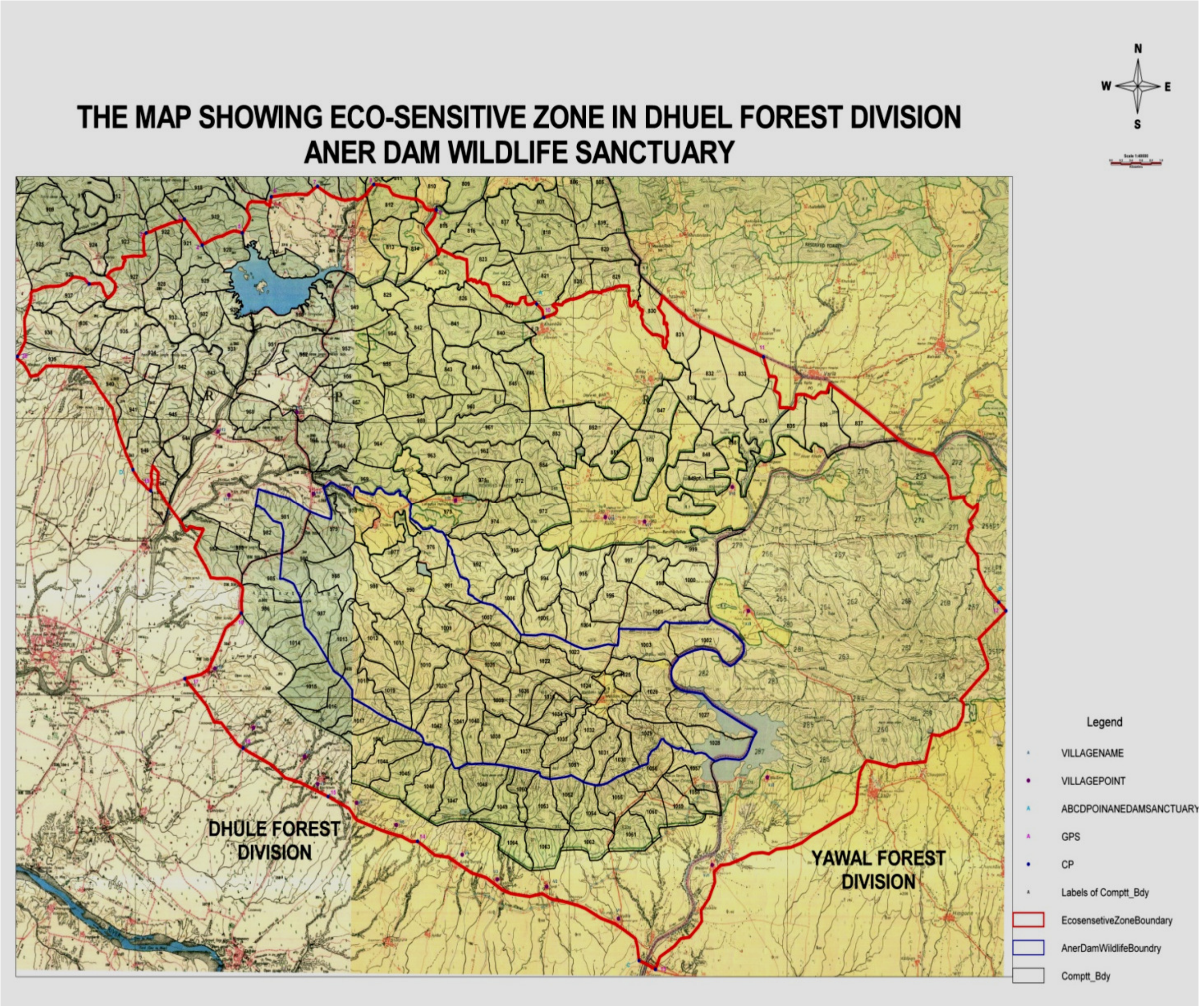

ANNEXURE-IV

Coordinates of Proposed ESZ of Aner Dam		
Sr. No.	**Latitude**	**Longitude**
1	N21 27 27.265	E74 53 53.108
2	N21 28 22.718	E74 55 11.447
3	N21 28 38.276	E74 56 04.106
4	N21 28 10.308	E74 56 28.317
5	**N19 28 21.089**	**E74 57 23.916**
6	N21 29 03.545	E74 58 03.643
7	N21 29 15.411	E74 59 07.234
8	N21 29 18.85	E75 00 24.777
9	N21 28 51.82	E75 01 51.169
10	**N21 26 55.114**	**E75 04 20.546**
11	N21 26 14.360	E75 09 23.651
12	**N21 21 40.026**	**E75 14 59.963**
13	N21 15 07.271	E75 07 00.318
14	N21 17 23.993	E75 01 31.595
15	N21 18 11.630	E74 59 27.827
16	N21 19 03.343	E74 57 30.288
17	N21 20 18.159	E74 56 09.449
18	N21 21 29.965	E74 57 26.289
19	N21 23 42.505	E74 55 20.332
20	**N221 26 06.988**	**E74 52 15.363**

Coordinate of Aner Dam Sanctuary		
Sr. No.	**Latitude**	**Longitude**
A	N21 27 09.797	E75 04 10.468
B	N21 21 49.342	E75 14 19.923
C	N21 15 16.678	E75 07 37.462

Annexure V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.